अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 498(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च,1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 193 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रशांती मेडीकल सर्विसिज और रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेन्टर,दूसरी मंजिल,सार्दनगर मेन मोड, राजकोट-360001 द्वारा गुजरात, राजकोट में भूमि विकास, निर्माण, उपस्करों, साजसज्जा और श्री सत्य सांई हृदय हास्पिटल को चलाने हेतु कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; जिसे बाद में दिनांक 11 मई,1999 की अधिसूचना सं0सां0आ0 325 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 31 मार्च,2003 की अधिसूचना सं0 354(अ0)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशांती मेडीकल सर्विसिज और रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेन्टर,दूसरी मंजिल,सार्दनगर मेन मोड, राजकोट-360001 द्वारा द्वारा चलाई जा रही गुजरात, राजकोट में भूमि विकास, निर्माण, उपस्करों, साजसज्जा और श्री सत्य सांई हृदय हास्पिटल को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत अर्थात 889.16 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए 700.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 98/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)